"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 अप्रैल 2007—चैत्र 30, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि एवं गन्ना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्र. ई-1-5/2006/1 /2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	जिले का नाम जहां सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किये गये
1.	श्री अंकित आनंद	दंतेवाड़ा
2.	सुश्री श्रुति सिंह	राजनांदगांव
3.	श्री पी. दयानंद	सरगुजा
4.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	जशपुर
5.	श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही.	जगदलपुर
6.	श्री भूवनेश यादव	कांकेर
7.	श्री एस. भारती दासन	कोरिया

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/06/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को दिनांक 02-04-2007 से 10-04-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2007 एवं 01 अप्रैल, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं श्रम विभाग को दिनांक 18-04-2007 से 26-04-2007 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा. प्र. से., संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 16-04-2007 से 03-05-2007 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 अप्रैल, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर आगामी आदेश तक संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

5. श्रीमती छिब्बर के उक्त अवकाश अवधि में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग., रायपुर का चालू कार्य श्री एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/2/2007/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 03-03-2007 द्वारा श्री एम. के. त्यागी, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 02-04-2007 से 20-04-2007 (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 20-06-2007 से 29-06-2007 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-06-2007 एवं 01-07-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती पिल्ले आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती पिल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पिल्ले अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

फा. क्रमांक 3172/1141/21-ब/छ. ग./07.—राज्य शासन, श्री इंदरचंद राकेचा नोटरी, बालोद जिला दुर्ग को, जिन्हें इस विभाग के आदेश क्र. 10564/1859/21-ब दिनांक 2-8-06 द्वारा बालोद तहसील में नोटरी व्यवसाय करने हेतु 05 वर्ष के लिये नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति सद्‌भाविक त्रुटि के कारण अधिसूचित पद के विपरीत अतिरिक्त पद पर हो गयी थी जबकि उक्त दिनांक बालोद में कोई नोटरी का पद रिक्त नहीं था. अत: उनकी नियुक्ति सद्‌भाविक त्रुटि के परिप्रेक्ष्य में होने से नोटरी अधिनियम की धारा 5 (16) के अंतर्गत,एतद्‌द्वारा निरस्त की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

(वित्त तथा योजना विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 5-1/2007/बीस सूत्रीय/43.—भारत सरकार, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त मार्गदर्शिका के कण्डिका क्रमांक 5.7 (ए) एवं कंडिका 5.8 के तहत राज्य शासन एतद्‌द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन करता है :—

अध्यक्ष	माननीय मुख्यमंत्रीजी
उपाध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा नामांकित
सदस्य	समस्त मंत्रीगण, सांसद, समस्त विधायकगण, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव.
नामांकित सदस्य	सामाजिक कार्यकर्त्ता, शिक्षाविद्, युवा नेता

2. उपाध्यक्ष एवं नामांकित सदस्यों का नामांकन शीघ्र किया जायेगा.

3. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के यू. ओ. क्रमांक 13/सा. प्र. वि./2007/1/5, दिनांक 15/3/2007 द्वारा समिति गठन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक/476/25-2/आजावि/2007.—आदिवासियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के दौरान आयोजित अलंकरण समारोह में स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते की स्मृति में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च, 2007 द्वारा स्थापित पुरस्कार हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार डॉ. भंवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007 बनाता है.

डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007

प्रस्तावना—

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. भंवर सिंह पोर्ते की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का सम्मान स्थापित करते हुए उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं.

1. **संक्षिप्त नाम—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007 है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा—**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(अ) संस्था से अभिप्रेत एक संस्था से है.

(ब) निर्णायक मंडल से अभिप्रेत इन नियमों के नियम-4 के अन्तर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप—**

आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य का इतिहास रचने वाली एक संस्था को डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार राशि रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र) एक संस्था को नगद तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी. यह सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा, प्रशस्ति पत्र अलग से दिया जावेगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन—**

राज्य शासन सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यत: पांच सदस्यीय होगा, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियां—**

(1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्व विवेक से ऐसी संस्थाओं के नाम पर विचार कर सकेगा जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप मानते हों.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड-ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया—**

सम्मान के लिए उपयुक्त संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी.

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टि विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए.

(क) संस्था का पूर्ण परिचय.

(ख) आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

(घ) सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फ़ोटो प्रति (सत्यापित).

(च) आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य.

(छ) संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण पत्र.

(ज) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति.

(झ) जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय: यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां को पंजीकृत किया जावेगा.

क्रमांक	सम्मानित संस्था का नाम व पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम/पता तथा संस्था में पदेन स्थिति	प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी. जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा—

1. संस्था का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. पुरस्कार विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
5. प्रमाण/टिप्पणियां/आलेख/प्रकाशन
6. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत सहमति है/नहीं है
7. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपलब्धियां
8. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने का प्रमाण पत्र

7. **चयन का मापदण्ड—**

सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे.

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घ कार्य में संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था का चयन किया जावेगा जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा हो और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है.

(2) ऐसी संस्था की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा. जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के सम्मान की जूरी का सदस्य हो.

(3) आदिवासियों की सेवा करने एवं उनके उत्थान के लिए पूर्व में अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था भी इस सम्मान के लिए पात्र होगी बशर्ते की ऐसी संस्था समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हो.

(4) छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी प्रात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरुपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी.

(5) सम्मान के लिए संस्था के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के कार्य का आंकलन होगा.

(6) संस्था को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य किया है और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात् सम्मान केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा. उसके लिए कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक है.

(7) संस्था के योगदान का संबंधित कार्यक्षेत्र एवं आदिवासियों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

(8) परंपरागत तौर पर तरीकों से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता में अपनाया गया है.

(9) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु संस्था को लिखित सहमति देनी होगी.

(10) सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी विचार करेगा. संस्था होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीन प्रमाण-पत्र पर्याप्त माना जावेगा.

8. **सम्मान की घोषणा—**

निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी) अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह—**

सम्मान का अलंकरण समारोह राज्य शासन द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित संस्था को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत संस्था अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक भी साथ में ला सकेंगे जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर अधिकारी ग्रेड-एके समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति—**

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन—**

राज्य शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है को निराकरण के अधिकार भी सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में वेष्ठित होंगे.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन—**

प्राप्त प्रविष्टियों एवं चयनित संस्था का रिकार्ड अलग-अलग जिल्द में आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित संस्था के आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु किये गये कार्यों के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी. जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति का विवरण आदि का समावेश होगा.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक 2421/1089/25-2/आजावि/2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर हेतु निम्नानुसार सेटअप स्वीकृत करता है :

क्र. (1)	पद का नाम (2)	वेतनमान (3)	संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	सचिव	8000-13500	01	
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	8000-13500	01	
3.	निज सचिव	6500-10500	01	
4.	निज सहायक	5500-9000	02	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	लेखापाल	4000-6000	01	
6.	सहायक ग्रेड-दो	4000-6000	01	
7.	सहायक ग्रेड-तीन	3050-4590	02	
8.	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर	01	
9.	दफ्तरी	कलेक्टर दर	01	
10.	भृत्य	कलेक्टर दर	01	
		योग	**15 पद**	

2. उपर्युक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी :

 2.1 सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.

 2.2 स्वीकृत पद स्थायी है, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न हो.

 2.3 पद संख्या के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जावेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.

 2.4 स्वीकृत ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.

3. उक्त व्यय मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-800-अन्य व्यय-0103-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-6800-अनुसूचित जाति आयोग का गठन-14-सहायक अनुदान-012-अन्य अनुदान मद अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. इस स्वीकृति पर वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 320/10932/ब-3/200, दिनांक 3-4-07 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 1-15/2006/11 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित किया जाए :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	केवल सीधी भर्ती के लिये			क्या सीधी भर्ती के लिये विहित आयु सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वह श्रेणी जिससे पदोन्नति स्थानान्तरण की जाना है/किया जाना है.
					आयु सीमा	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हताएं	परिवीक्षा परीक्षण यदि कोई हो की कालावधि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
जमादार	01	चतुर्थ श्रेणी	2610-3540	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	-	-	नहीं	भृत्य/चौकीदार के पद से पदोन्नति द्वारा
दफ्तरी	01	चतुर्थ श्रेणी	2610-3540	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	-	-	-	नहीं	भृत्य/चौकीदार के पद से पदोन्नति द्वारा
भृत्य/ चौकीदार	46	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	100 प्रतिशत सीधी भर्ती	18 से 35 वर्ष	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	दो वर्ष	-	-

टीप :- उपरोक्त सभी पदों के लिये संचालक उद्योग नियुक्ति प्राधिकारी रहेंगे.

Raipur, the 2nd April 2007

No. F 1-15/2006/11 (6).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh State Industries (Class IV) Service Recruitment Rules 1987, namly :—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. For the existing schedule, the following schedule shall be substituted.

SCHEDULE

Name of Posts	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or Transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods	For Direct recruitment only			Whether age & Educational Qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	In case of recruitment by promotion/transfer grades from which promotion/transfer to be made
					Age limit	Educational Qualification required	Period of probation trial if any		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jamadar	01	Class IV	2610-3540	100% Promotion	-	-	-	No	By promotion from the Post of Peon/ Chowkidar
Daftari	01	Class IV	2610-3540	100% Promotion	-	-	-	No	by promotion from the post of Peon/ Chowkidar
Peon/ Chowkidar	46	Class IV	2550-3200	100% Direct Recruitment	18-35 years	8th Class pass	2 years	-	-

Note :- Director of Industries shall be appointing authority for the above posts.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक एफ-9-41/दो/गृह/07.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमार भारती	उप अभियंता

(1)	(2)	(3)
2.	श्री सी. एस. खान्डे	सहायक अभियंता (वि. स.)

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-5/दो/गृह/07.—विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "समाज कल्याण" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. किरण कौशल	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय
2.	कु. प्रियंका ठाकुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
3.	कु. रेनू प्रकाश	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय
4.	कु. शैल ठाकुर	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
5.	कु. गुरप्रीत कौर हूरा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
6.	संजीव तिरकी	सहायक महिला बाल विकास विस्तार अधिकारी	निम्नस्तर
7.	श्रीमती कुरदुला तिग्गा	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर
8.	श्रीमती सरोज बाला	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
9.	श्री चन्द्रबंश सिंह सिसोदिया	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय
10.	श्री अजय शर्मा	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय
11.	श्री रमेश कुमार साहू	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	सश्रेय

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-15/दो/गृह/07.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "व्यवहारिक शाखा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्री बद्री नारायण मीणा	सहायक पुलिस अधीक्षक
2.	श्री अजय कुमार यादव	सहायक पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)
3.	श्री अंकित कुमार गर्ग	सहायक पुलिस अधीक्षक
	परीक्षा केन्द्र रायपुर	
4.	सुश्री नेहा चम्पावत	एस. डी. ओ. पी.

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-32/दो/गृहं/07.—पशु चिकित्सा विभाग के सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र लेखा प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. रमेश कुमार मनहर	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
2.	डॉ. संजय दुबे	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
3.	डॉ. गोविन्द सिंह नेटी	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
4.	डॉ. विजय बहादुर सिंह आयम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
5.	डॉ. नीलकंठ तारम	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
6.	डॉ. कृष्ण कुमार शर्मा	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-38/दो/गृह/07.—जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियंत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्न पत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. सीमा अग्रवाल	सहायक संचालक	उच्चस्तर
2.	कु. इस्मत जहां दानी	सहायक संचालक	उच्चस्तर
3.	श्री हीरालाल देवांगन	सहायक संचालक	उच्चस्तर
4.	श्री पवन कुमार गुप्ता	सहायक संचालक	उच्चस्तर
5.	श्री सुनील कुमार सिंह	सहायक संचालक	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ-9-39/दो/गृह/07.—सभी विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जनवरी 2007 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	डॉ. राम ओत्तलवार	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
2.	डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
3.	श्री संतलाल	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
4.	श्री दुर्गेश साय पैकरा	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
5.	श्री प्रहलाद सिंह कुसरो	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
6.	डॉ. राजू गाइड	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ
7.	श्री देवकुमार सिंह	सहायक संचालक मत्स्योद्योग
8.	श्री राकेश चौबे	डिप्टी रेंजर
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर	
9.	श्री योगेश कुमार मेश्राम	कृषि विकास अधिकारी
10.	श्री पी. आर. बघेल	सहायक संचालक कृषि
11.	श्री संजय कुमार डहरिया	कृषि विकास अधिकारी
12.	श्री बलदेव मरकाम	मानचित्रकार
13.	श्री सतीश कुमार अहिरवार	सहायक संचालक मत्स्योद्योग
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
14.	श्री मनोज कुमार सागर	कृषि विकास अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक एफ 1-18/16/05.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा-7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 1-18/2005/16, रायपुर दिनांक 27-10-2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का गठन करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानीय प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में

अधिसूचना जारी तिथि से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्रम न्यायालय, रायपुर	श्री प्रदीप कुमार सोनी
2.	श्रम न्यायालय, बिलासपुर	श्री एस. के. टाइटस
3.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
4.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री ए. के. सनोठिया
5.	श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री एस. के. टाइटस
6.	श्रम न्यायालय, कोरबा	श्री एस. एल. मात्रे

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनकी कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियां उस प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

Raipur, the 2nd April 2007

No. F 1-18/16/05.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and making partial amendment in the notification No. 1-18/2005/16 Raipur Dated 27-10-2005 issued in this behalf of the State Government hereby :-

(A) Constitutes the Labour Courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officers of the said Courts with prospective effect from date of notification to Labour Court concerned :-

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Raipur	Shri P. K. Soni
2.	Labour Court, Bilaspur	Shri S. K. Titus
3.	Labour Court, Ambikapur	Shri S. K. Tripathi
4.	Labour Court, Jagdalpur	Shri A. K. Sanothiya
5.	Labour Court, Raigarh	Shri S. K. Titus
6.	Labour Court, Korba	Shri S. L. Matre

(B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the stage at which they are transferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक/05/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	गिधवा	3.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा, जि. दुर्ग.	गिधवा जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./15 अ 82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	भाठागांव प. ह. नं. 105	1018/2	0.129	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	खारून नदी पर पुल के लिए पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
			1017	0.243		
			1015	0.202		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1226	0.530		
			1227	0.129		
			1016	0.105		
			1220	0.032		
			1225	0.138		
		योग	8	1.508		

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./प्र. क्र./16 अ 82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा	रकबा हेक्टेयर में		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	तरपोंगी प. ह. नं. 03	171/2 161/2 163/1	0.150 0.004	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कोल्हान नाला सेतु तरपोंगी-खैर- खुट मार्ग निर्माण हेतु.
		योग	3	0.154		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 11 जुलाई 2006

क्रमांक क/ भू-अर्जन/106.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प. ह. नं. 04	0.182	कार्यपालन यंत्री, हसदेव बरॉज जल प्रबंध संभाग, रामपुर [illegible]बा.	बायीं तट नहर के अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पीचिंग कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कोरबा, दिनांक 23 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	सिमकेंदा	4.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	सिमकेंदा जलाशय प्रयोजन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 23 मार्च 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	बोकरदा	नीजि भूमि 4.74 शासकीय भूमि 2.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बोकरदा जलाशय प्रयोजन हेतु.
			कुल 6.90		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मार्च 2007

क्रमांक 212 /भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अमलीडीह प.ह.नं. 14	0.100	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 4, डभरा.	अमलीडीह ब्रांच सब माइनर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव बांगो परियोजना, सक्ती जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक 213 /भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	मोहगांव प.ह.नं. 2	0.045	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5.	घोघरा माइनर नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 मार्च 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/214.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नन्दौर खुर्द प.ह.नं. 12	0.064	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता हसदेव बांगो नहर, संभाग क्रमांक 5.	नन्दौर खुर्द माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक क /भू-अर्जन/629.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	झिलमिली प.ह.नं. 4	19.188	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जांजगीर, मुख्यालय चांपा, जि. जांजगीर-चांपा.	छ:डोलिया जलाशय निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पामगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 24 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 1 /अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बरिमा	4.764	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, अम्बिकापुर.	बाक्साइट उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 2 /अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बरिमा	4.304	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर.	बाक्साइट उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 24 मार्च 2007

रा. प्र. क्र. 3 /अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बरिमा	4.610	प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, अम्बिकापुर.	बाक्साइट उत्खनन

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुवा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 8/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बुचीपारा	0.955	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 13/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	पथरगढ़ी	0.668	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग संभाग क्रमांक 1, बिलासपुर.	पथरिया, छिन्दभोग सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 14/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	किरना	0.162	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	टेसुवा व्यपवर्तन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

रा. प्र. क्र. 15/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	जेठूकापा	0.806	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	उर्दना प. ह. नं. 14	4.414	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइंस से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गोरका प. ह. नं. 14	0.202	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइंस से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	खैरपुर प. ह. नं. 14	1.071	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइंस से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कृष्णापुर प. ह. नं. 14	2.423	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजनार्थ लिबरा कोल माइंस से प्लांट स्थल पतरापाली तक रेल्वे लाइन निर्माण हेतु भू-अर्जन के संबंध में.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 107.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोरबा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1144/1 ज/3	0.020
	1119/1	0.061
योग	2	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बायीं तट नहर अंतर्गत नहर निर्माण एवं बोल्डर पीचिंग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक/177/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-कांकेर
- (ग) नगर/ग्राम-चिवरांज
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	230	0.85
योग		0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- मनकेशरी तालाब उन्नयन कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 30 मार्च 2007

क्रमांक/180/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
(ख) तहसील-कांकेर
(ग) नगर/ग्राम-नवागांव (भावगीर)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.07
51	0.14
55	0.14
53	0.23
योग	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- मनकेशरी तालाब उन्नयन कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 अप्रैल 2007

प्र. क्रमांक 1 अ 82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-भैसों, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.082 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16/1	0.178
16/3	0.069
16/2	0.138
17	0.113
18	0.178
20/2, 20/6	0.809
20/3	0.279
20/8	0.405
238/2	0.364
238/3	0.405
238/5	0.263
240/1	0.109
240/3	0.040
240/6	0.077
241/2	0.170
240/2	0.279
241/3	0.045
240/4	0.243
240/5	0.077
240/7	0.109
241/6	0.089
241/7	0.170
241/1	0.291
241/5	0.073
243/1	0.073
243/2	0.109
243/3	0.093
244	0.498
245/2	0.271
245/3	0.474
245/4	0.470
245/5	0.405
241/4	0.429
245/7	0.267

	(1)	(2)
	246	0.020
योग	35	8.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छ:डोलिया जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 2 अप्रैल 2007

क्रमांक/3/अ 82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-नांदघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	666/2	0.18
योग		0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/166/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सिलघट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	963	0.15
	974/1	0.16
	974/2	0.16
	972	0.09
	973	0.09
योग	5	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/167/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बेलोदिकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.10
114	0.06
योग 2	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/168/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-पदमी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	0.58
208	0.02
210/2	0.06
212/3	0.05
210/1	0.30
212/1	0.13
212/4	0.07
212/2	0.17
213	0.37
214/2	0.09
योग 10	1.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिरवाबांधा जलाशय योजना के स्पिल चैनल (उलट) निर्माण बाबत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/169/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-खर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
927/2	0.06
927/3	0.17
योग 2	0.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/170/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बेरला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
455	0.05
454/1	0.03
428	0.05
469/2	0.12
465	0.57
योग 5	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/171/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-कोसपातर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42, 253	0.12
347	0.13
226	0.11
280	0.01
274, 275	0.01
योग	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/172/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.032
14	0.012
23	0.028
23	0.372
25	0.008
26	0.004
योग 6	0.456

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/173/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-तेलगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	72, 65	0.11
योग		0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/174/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-मुड़पार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.160 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	277	0.071
	306	0.004
	312	0.004
	294	0.004
	291	1.011
	292	0.023
	295	0.003
	297	0.004
	298	0.036
योग	9	1.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/175/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-बेरला
(ग) नगर/ग्राम-सोरला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	694/826	0.008
	695/1, 695/2	0.064
योग	3	0.072

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/176/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-भांड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1125/2	0.01
	1126/2	0.01
योग	2	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/177/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-सुरहोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.051 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	460	0.006
	460	0.002
	460	0.008
	460	0.005
	435	0.004
	460	0.013
	460	0.002
	460	0.005
	460	0.006
योग	9	0.051

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/178/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बारगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.27 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1696, 1770	0.25

	(1)	(2)
	1773	0.02
योग	3	0.27

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/179/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-डफरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	373	0.02
	379	0.65
	1228	0.02
	1230	0.04
	1231	0.04
योग	5	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक/180/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1020	0.03
	1036	0.03
योग	2	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1/अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-पतरकोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.61 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	35/4	0.09
	96/3	0.26
	143/1	0.09
	143/2	0.07
	143/3	0.07
	101	0.10
	140	0.07
	138	0.07
	139	0.05
	141/2	0.21
	99/2	0.18
	99/3	0.16
	102	0.11
	138/4	0.08
योग	14	1.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मल्हनियां जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-मस्तूरी

(ग) नगर/ग्राम-पिपरानार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.14 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	815/1	0.10
	828, 829, 830	0.15
	827	0.07
	783	0.26
	833	0.10
	811	0.12
	826	0.10
	815/2	0.10
	702	0.10
	831	0.18
	819	0.12
	817/1	0.33
	810	0.15
	818	0.12
	832	0.12
	825	0.02
योग	16	2.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
210/2	0.75
213	0.32
योग 2	1.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-उड़ांगी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
23/1	0.28
23/2	0.28
88/1	0.27
90/1	0.11
योग 4	0.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मस्तूरी
(ग) नगर/ग्राम-लुतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
201/1	0.10
205/1	0.11
214/1	0.20
322/3	0.13
507/1	0.25
508/2	0.05
योग 5	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-धनिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	232/2	0.02
	233/2	0.11
	236/10	0.07
	273/1	0.05
	273/3	0.11
योग	05	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-रांक
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.47 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1921/3	0.60
	1921/21	1.87
योग	02	2.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1032/2	0.32

(1)	(2)
1235/1	0.32
1235/2	0.32
1250	0.14
1252, 1253	0.30
योग 05	1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2007

प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-मड़ई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.28 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
84	0.16
133	0.20
1133/2	0.16
1144	0.12
132	0.24
93/2	0.14
96/3	0.50
96/4	0.08
106/1	0.40
117/1	2.06
125/1, 125/2	0.12
87, 88	0.03
1134	0.13
134	0.26
124	0.07
131	0.08
94	0.14
77/1, 77/3	0.93
1113/3	0.16
81	0.14
82, 83	0.36
95	0.15
85, 86	0.25
103/2	0.22
1138	0.12
91/1	0.15
122, 123	0.36
योग 27	7.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन.टी.पी.सी. सीपत परियोजना की रेल्वे साईडिंग/एम.जी.आर. निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

NOTICE

BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (AUX)
AT VIRAMGAM, DIST. AHMEDABAD (GUJARAT)

M. A. C. PETITION No. 414/1994

APPLICANT : IQBAL SADABHAI
Resi Vadhvan, Dist. Surendranagar (GUJ)

V/S

OPPONENTS : No. 2 SARDAR RAGHUVIRSING JAGATSING
C/o Rajasthan Transport, Tatiband, Raipur, Chhattisgarh State

The aforesaid opponent No. 2 is hereby informed that the petitioner of M. A. C. Petition mentioned above have filed this case against you on 22-4-94. U/s 166 (a) of M. V. Act 1988 for recovery of compensation to the tune of Rs. 2,00,000.00 because of accident by Vehicle No. Truck No. MP-23-4234 owned by Opponent No. 2 You are therefore, hereby informed to remain present in this Tribunal on 25-4-07 at 11.00 a. m. for filing your reply of the claim case.

You are also hereby informed to remain present on this date with all written documents upon which you reply.

You are hereby given this notice that if you do not remain present on the above said date, the matter will be heard and decided in your absence.

You are hereby also given this notice that on the abovesaid fixed date or before it, if you fail to furnish your address no attention will be given on your defence, which may please note.

Given under my hand and seal of the Tribunal on this 22 day of March 2007.

By order

Sd/-

(N. M. VYAS)
Dy. Registrar.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd April 2007

No. 532/J. O. T. I./2007/II-15-66/2001 (Pt. II).—The following Newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officers' Training Institute (J. O. T. I.), High Court of Chhattisgarh, High Court Campus, Bilaspur on 9-04-2007 in the afternoon and before 5.00 P. M. for undergoing the Second Part of Institutional Training Programme to be held from 10th April 2007 to 9th May, 2007.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Smt. Shradha Singh	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
2.	Shri Kiran Kumar Jangade	I Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Shri Yashpal Singh Tandon	IX Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Mukesh Kumar Patre	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
5.	Shri Shyam Sunder Kashyap	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Ku. Sarita Das	IV Civil Judge Class-II, Raigarh
7.	Ku. Yogita Gadpayle	VI Civil Judge Class-II, Durg
8.	Shri Pramod Singh Paraste	II Civil Judge Class-II, Jagdalpur
9.	Ku. Sanjaya Ratrey	IX Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Shri Rakesh Kumar Som	Civil Judge Class-II,Kanker
11.	Shri Jitendra Kumar Thakur	Civil Judge Class-II; Baikunthpur
12.	Shri Kamlesh Kumar Jurri	X Civil Judge Class-II, Raipur
13.	Shri Jagdish Ram	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
14.	Shri Anil Kumar Bara	I Civil Judge Class-II, Dantewara
15.	Ku. Mohani Kanwar	I Civil Judge Class-II, Raigarh
16.	Ku. Dwarika Tidke	VIII Civil Judge Class-II, Durg

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :-

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C. G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (With C. G. Rules)

Sd/-

(H. S. MARKAM),
Registrar General.